(7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्या :–183 / 2012 / दावा

1. कल्पना कंवर पुत्री गोपाल सिंह आयु 32 साल
2. करूणा कंवर पुत्री गोपाल सिंह आयु 28 साल
3. कर्मा कंवर पुत्री गोपाल सिंह आयु 25 साल

समस्त जाति राजपुताना निवासीगण खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–वादीयागण

बनाम

1. गोपालसिंह पुत्र भोपाल सिंह आयु 58 साल जाति राजपुत निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थिति:

1. श्री भवानीसिंह शेखावत वकील वादीयागण की ओर से।
2. श्री राजेन्द्र जाट वकील प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

निर्णय दिनांक 13.10.2020

1. वाद में वादीयागण का कथन व वादसार इस प्रकार है कि आराजियात खसरा नम्बर 2462, 2463, 2464, 2465, 2465 / 3994, 2476 किता 6 कुल रकबा 1.4640 है0 वाके ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है उक्त भूमियां वादीयागण व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त पैत्रिक कृषि भूमियां है जो पूर्व में वादीयागण के दादा व प्रतिवादी संख्या एक के पिता स्व0 भोपाल सिंह के कब्जे काश्त अधिकार एवं खातेदारों में पूर्वजों के समय से बजमाना जागीर दर्ज चली आ रही है। वादीयागण के दादा एवं प्रतिवादी सं0 एक के पिता भोपाल सिंह के फौत हो जाने पर उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में विरासत के आधार पर प्रतिवादी सं0 एक के नाम दर्ज हुई है। वादीयागण एवं प्रतिवादी संख्या एक आपस में पिता पुत्रिया है जिनका सजरा खानदान निम्न प्रकार से है :–

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

भोपालसिंह –

गोपालसिंह दत्तक पुत्र प्रतिवादी सं0 1

कल्यान कंवर	करूणा कंवर	कर्मा कंवर
(वा.सं.एक)	(वा.सं.दो)	(वा.सं.तीन)

वादीयागण के दादा स्व0 भोपालसिंह के नाम दर्ज खातेदारी शुदा भूमियों में वादीयागण का प्रत्येक का 1/4, 1/4 हक हिस्सा पैत्रिक है। वादीयागण अपने उक्त पैत्रिक हक व हिस्से पर काबिज रहकर निरन्तर व निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग कर रही है। वादीयागण अपने उक्त 1/4, 1/4, 1/4 यानी सम्पूर्ण भूमि में से 3/4 पैत्रिक हक व हिस्से की भूमि के खातेदारी अधिकारी की उदघोषणा करवाने की अधिकारी है। वादीयागण की माता का स्वर्गवास पूर्व में ही हो गया था वादीयागण की एक बहिन कविता कंवर की मृत्यु ही अरसा करीब 7–8 वर्ष पूर्व हो गयी इस वजह से वादीयागण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 का मानसिंक संन्तुलन खराब हो गया जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 1 को वादीयागण के ही परिवार व कुटूम्ब वालों ने ही बहका रखा है तथा प्रतिवादी संख्या एक के कोई पुत्र संतान नहीं होने की वजह से वादीयागण की पैत्रिक सम्पतियां हड़पने की कुचेष्ठा में है। प्रविादी संख्या 1 वादीयागण को विवादित भूमियां में से उनका पैत्रिक हक व हिस्सा नहीं देकर अन्य लोगों को वादीयागण को बेदखल कर कब्जा करवाने की कुचेष्ठा में है तथा वादियागण के कब्जे में हस्तक्षेप कर उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी कर रहे है। विवादित कृषि भूमियों की खातेदारी वादियागण के पिता प्रतिवादी संख्या एक के नाम दर्ज होने कि वजह से उक्त भूमियों को रहन बेचान एवं अन्य किसी भी प्रकार से हस्तानान्तरित करने पर अमदा है। वादकारण अर्सा करीब 15 रोज पूर्व प्रतिवादी संख्या एक ने अपने साथ अन्य परिवारवालो को

उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़

साथ लेकर आया एवं वादीयागण को उनके वैधिक हक व हिस्से की भूमियों के उपयोग उपभोग मे हस्तक्षेप करने लगे एवं मना करने पर प्रतिवादीसंख्या एक द्वारा विवादित भूमियो को अन्य लोगो को बेचान करने की धमकी दिये जाने पर उत्पन्न हुआ है तब से ही वादकारण क्षण प्रतिक्षण लगातार निरन्तर रूप से जारी है। अत: वादीयागण अन्त में वाद प्रस्तुत कर यह इस्तदुआ चाही कि खसरा नम्बर 2462, 2463, 2464, 2465, 2465/3994, 2476 किता 6 कुल रकबा 1.4640 है0 वाके ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की खातेदारी में से प्रतिवादी संख्या एक के नाम से दर्ज खातेदारी भूमियों मे से वादीयासंख्या एक को 1/4, वादीया संख्या दो को 1/4 व वादीया सख्या 3 को 1/4 यानि सम्पूर्ण भूमि में से 3/4 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाकर इस आशय की उदघोषणा जारी की जावे तथा तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने के आदेश पारित किये जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर सें वकील श्री राजेन्द्र जाट हाजिर आये। वादीयागण तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा तस्दीक किया गया। वादपत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की वाद में सहमति के आधार पर वादीयागण का वाद प्रथम दृष्ट्या स्वीकार होने योग्य है। प्रतिवादी संख्या एक की सहमति पर तथा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वादीयागण का वाद स्वीकार किया जाकर वाद में उदघोषणा इस प्रकार की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 2462, 2463, 2464, 2465, 2465/3994, 2476 किता 6 कुल रकबा 1.4640 है0 वाके ग्राम खाटूश्यामजी तहसील

जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 2462, 2463, 2464, 2465, 2465/3994, 2476 किता 6 कुल रकबा 1.4640 है0 वाके ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदारी में से प्रतिवादी संख्या एक के नाम से दर्ज खातेदारी भूमियों में से वादीयासंख्या एक को 1/4, वादीया संख्या दो को 1/4 व वादीया संख्या 3 को 1/4 यानि सम्पूर्ण भूमि में से 3/4 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। वाद वादीयागण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निर्णय की पालना कर न्यायायय को पालना सें अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.10..2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

(11)

अंतिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

कल्पना कंवर बनाम गोपालसिंह आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

मुकदमा नं0 183 / दावा सन् 2012 निर्णय दिनांक. 13.10.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **श्री भवानींसिह शेखावत** मिनजानिब मुद्दई व श्री राजेन्द्र जाट मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वादीयागण तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर सें पेश राजीनामे के आधार पर अंतिम डिकी इस प्रकार सें जारी की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 2462, 2463, 2464, 2465, 2465 / 3994, 2476 किता 6 कुल रकबा 1.4640 है0 वाके ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदारी में से प्रतिवादी संख्या एक के नाम से दर्ज खातेदारी भूमियों में से वादीयासंख्या एक को 1 / 4, वादीया संख्या दो को 1 / 4 व वादीया संख्या 3 को 1 / 4 यानि सम्पूर्ण भूमि में से 3 / 4 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। वाद वादीयागण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निर्णय की पालना कर न्यायायय को पालना सें अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.10.2020 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मुद्दई	अदद	पैसे	मुद्दाअलह	अदद	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प दस्तावेज मंसूल	--	--	मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील	--	--	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	--	--	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	--	--	बाकी इजराय हुक्मनामा		
बाकी इजराय हुक्मनामा	--	--	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट इस खर्चे के कार्य पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़